तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/11/19	वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के समन डाक द्वारा भेजे गये थे। विपक्षीगण अनुपस्थित। आइन्दा पत्रावली दिनांक 3/12/19 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना	
03/12/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के विपक्षीगण अनुपस्थित। अतः विपक्षीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद सीरवी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 425/2018

प्रार्थी

1. जैसाराम पुत्र लिखमाराम
   जाति राजपुरोहित निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. छगनाजी पुत्र सरदाराजी
2. सांवलाराम पुत्र करनाराम
3. जोईताराम पुत्र भगवानाराम
4. जबराराम पुत्र भगवानाराम
5. विरमाराम पुत्र भगवानाराम
6. अदराजी पुत्र पुरखाजी
7. सांवलाजी पुत्र पुरखाजी
8. तिलोकजी पुत्र खंगजी
9. छगनाजी पुत्र बगदाजी
10. रामाजी पुत्र हिराजी
11. पेमजी पुत्र हिराजी
12. दुर्गसिंह पुत्र मशाजी
13. शंकरलाल पुत्र दुदाजी
14. नगजी पुत्र अमराजी
15. ठाकुरसिह पुत्र वसनाजी
16. मांगीलाल पुत्र अदराराम
17. भूरजी पुत्र सवाजी
    जाति पुरोहित निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
18. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार सिवाना जिला बाड़मेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 02/12/19

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071–2074 सरहद मौजा ईटवाया पटवार मण्डल पादरू तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 2154/1155 रकबा 7–07 बीघा, खसरा नम्बर 2141/1161 रकबा 23–15 बीघा, खसरा नम्बर 2143/1162 रकबा 14–16 बीघा एवं खसरा नम्बर 2160/1163 रकबा 8–16 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार समदडी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा ईटवाया पटवार मण्डल पादरू तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 2154/1155 रकबा 7–07 बीघा, खसरा नम्बर 2141/1161 रकबा 23–15 बीघा, खसरा नम्बर 2143/1162 रकबा 14–16 बीघा एवं खसरा नम्बर 2160/1163 रकबा 8–16 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02/12/19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद सीरवी)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2020.03.15 13:00:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: